रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 517] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897
No. 517] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December 1975

S.O. 738(E).—Whereas the Government of Haryana have intimated a few alterations in the names and extent of territorial divisions in the State or and inadvertent slips or omissions, in the description of certain assembly constituencies in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 28 of 2 December, 1974, in respect of the State of Haryana;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of those constituencies and correct the errors arising from inadvertent slip or omission so as to bring the Order correct and uptodate;

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 11 of the Delimitation Act, 1972, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

I. In Table B—Assembly Constituencies—

(i) Under column 2, against 34-Salhawas, in the description of the extent of the constituency, *after* the figure, word and bracket "45-Islamgarh)" the words "in Jhajjar tehsil" shall be *added;*

(ii) Between the entries against "79-Adampur" and "80-Darba Kalan", the sub-heading, "10-SIRSA DISTRICT" shall be inserted;

(iii) Under column 2, against 80-Darba Kalan, in the description of the extent of the constituency, for the existing entry, the entry "P.Cs. 63-Dayyar, 64-Jandwala, 65-Ramsara and 68-Pilimandori in Bhattu Kalan K. C. and

P.Cs. 53-Manawali, 54-Kukranwali, 55-Gilakhera and 56-Bodiwali in Bighar K. C. in Fatehabad tehsil of Hissar district; and Darba Kalan and Madho Singhana K.Cs. and Ding K. C. (excluding P.Cs. 110-Bhaudin, 111-Kawarpura, 112-Kotali, 113-Moriwala, 115-Darbi, 116-Baruwali Aval and 117-Bharoka) in Sirsa tehsil of Sirsa district" shall be *substituted;* and

(iv) *For* the existing sub-heading "10-MAHENDRAGARH DISTRICT" appearing between the entries "84-Dabwali (SC)" and "85-Bawal (SC)", the sub-heading "11-MAHENDRAGARH DISTRICT", shall be *substituted.*

II. In the Note at the end of the Order, *for* the words and figures, "1st day of November, 1974", the words and figures, "1st day of September, 1975" shall be substituted.

[No. 282/1/HR/75.]

By order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1975

का० आ० 738 (अ).—हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य के प्रादेशिक खण्डों के नामों और विस्तार में कुछ परिवर्तन और उस राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के तारीख 2 दिसम्बर, 1974 के आदेश सं० 28 की सारणी ख में वर्णित कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में अनवधानता से हुई भूल या चूक संसूचित की हैं ;

और, निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में कुछ संशोधन करना तथा उक्त आदेश को ठीक और अद्यतन करने के लिये अनवधानता से हुई भूल या चूक से परिणामित गलतियों को ठीक करना आवश्यक और समीचीन समझता है;

अतः, अब, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है:—

I—*सारणी ख*—सभा निर्वाचन-क्षेत्र में—

(i) "79. आदमपुर" और "80—दरबा कलां" प्रविष्टियों के बीच में, "10—**सिरसा जिला**" उप-शीर्षक जोड़ दिया जाएगा ;

(ii) स्तम्भ 2 के नीचे, 80—दरबा कलां के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "हिसार जिले में फतेहाबाद तहसील के भट्टू कलां कानूनगो सर्किल की 63—दय्याड़, 64—जंडवाला, 65—रामसरा और 68—पीलीमन्दौरी पटवार सर्किल और बिघर कानूनगो सर्किल की 53—मानावाली, 54—मुकरानवाली, 55—गीलाखेड़ा, और 56—बोदीवाली पटवार सर्किलें; और सिरसा जिले में सिरसा तहसील की दरबा कलां और माधों सिंघाना कानूनगो सर्किलें, और डिंग कानूनगो सर्किल (110—बाहुदीन, 111—कंवरपुरा, 112—कोटाली, 113—मोरीवाला, 115—डरबी, 116—बारुवाली अवल और 117—भारोका पटवार सर्किलों को छोड़कर)" प्रविष्टि रखी जाएगी; और

(iii) " 84—डबवाली (अ० जा०)," और "85—बाबल (अ० जा०) "प्रविष्टियों के बीच विद्यमान उप-शीर्षक "10—महेन्द्रगढ़ जिला" के स्थान पर, "11—महेन्द्रगढ़ जिला" उपशीर्षक रखा जाएगा ।

II. उक्त आदेश के अन्त में, टिप्पणी में, "1974 के नवम्बर के प्रथम दिन", शब्दों और अंकों के स्थान पर , "1975 के सितम्बर, के प्रथम दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं० 282/1/हर०/75]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975